(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. सं. 105 **नई दिल्ली** 23 **मार्च**, 2016

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, काण्डला पत्तन न्यास के कार्गो हैंडलिंग प्रभाग की लेवी एवं अन्य प्रभारों के स्थान पर पोत पर श्रम के लिए विद्यमान संमिश्र दर की वैधता की अवधि का विस्तार करता है, जैसाकि इसके साथ संलग्न आदेश में विनिर्दिष्ट है।

(टी.एस. बालसुब्रमनियन)
सदस्य (वित्त)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

<u>मामला संख्या टीएएमपी/41/2012-केपीटी</u>

काण्डला पत्तन न्यास ... आवेदक

<u>कोरम</u>

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

<u>आदेश</u>

(फरवरी, 2016 के इस 27वें दिन को पारित)

यह मामला काण्डला पत्तन न्यास के कार्गो हैंडलिंग प्रभाग (सीएचडी) की लेवी एवं अन्य प्रभारों के स्थान पर पोत पर श्रम के लिए प्रति टन दर की वैधता की अवधि के विस्तार के लिए काण्डला पत्तन न्यास (केपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. काण्डला पत्तन न्यास के कार्गो हैंडलिंग प्रभाग (सीएचडी) की लेवी एवं अन्य प्रभारों के स्थान पर पोत पर श्रम के लिए संमिश्र दर में संशोधन इस प्राधिकरण द्वारा आदेश संख्या टीएएमपी/14/2012-केपीटी द्वारा 13 अगस्त, 2013 को किया गया था। इस आदेश में केपीटी पर सीएचडी के पोत पर श्रमिकों की तैनाती के लिए संमिश्र दरों की वैधता निर्धारित की गई थी।

3. चूँकि सीएचडी दरों की वैधता 31 मार्च, 2015 को समाप्त हो गई थी, इसीलिए, केपीटी द्वारा उनके पत्र दिनांक 21 मार्च, 2015 को किए गए अनुरोध पर, इस प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 15 मई, 2015 द्वारा कार्गो हैंडलिंग प्रभाग (सीएचडी) की लेवी एवं अन्य प्रभारों के स्थान पर पोत पर श्रम के लिए संमिश्र प्रति टन दर की वैधता की अवधि का विस्तार 30 सितम्बर, 2015 तक किया गया था। उक्त आदेश में, केपीटी से हर हालत में 30 जून 2015 तक सीएचडी के लिए संमिश्र दर में संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए भी अनुरोध किया गया था। तथापि, केपीटी ने 30 जून, 2015 तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए दिए गए विशिष्ट निर्देशों के बावजूद भी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था। इसीलिए, 28 दिसम्बर, 2015 के हमारे पत्र द्वारा केपीटी से महापत्तनों के लिए लागू प्रशुल्क नीति, 2015, जो 13 जनवरी, 2015 से लागू है, और प्रारंभिक दिशा-निर्देश, 2015 के अनुपालन में अपना प्रस्ताव शीघ्र ही प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

4.1. प्रतिक्रिया स्वरुप, केपीटी ने अपने पत्र दिनांक 12 जनवरी 2016 द्वारा यह उल्लेख किया है कि चूँकि बोर्ड द्वारा पहले ही 11 दिसम्बर, 2015 को आयोजित अपनी पिछली बैठक में इसका अनुमोदन कर दिया गया है, इसलिए, पत्तन पर श्रम प्रभारों के लिए संमिश्र दरों में संशोधन को दरमानों (एसओआर) के सामान्य संशोधन से संबंधित प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है, जिन्हें शीघ्र ही महा पत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (टीएएमपी) को भेजा जाएगा। अत: केपीटी ने कार्गो हैंडलिंग प्रभाग के पोत पर श्रम प्रभारों के लिए विद्यमान संमिश्र दर की वैधता की अवधि का विस्तार 30 सितम्बर, 2015 के पश्चात छह मास की और अवधि तक करने के लिए स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

4.2. तत्पश्चात, केपीटी ने अपने पत्र दिनांक 22 फरवरी 2016 द्वारा अपने दर मानों के सामान्य संशोधन से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसके संबंध में अलग से कार्रवाई की जा रही है। जैसाकि केपीटी द्वारा उल्लेख किया गया है, *कार्गो हैंडलिंग प्रभाग* के लिए प्रशुल्क संशोघन को उक्त प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है।

5.1. केपीटी में स्थित *कार्गो हैंडलिंग प्रभाग* के पोत पर श्रम प्रभारों के लिए विद्यमान संमिश्र दर की वैधता की अवधि 30 सितम्बर, 2015 को समाप्त हो गई है। केपीटी द्वारा किए गए अनुरोध को देखते हुए और इस बात को मानते हुए कि पत्तन ने अपने सामान्य संशोधन प्रस्ताव में कार्गो हैंडलिंग प्रभाग के संशोधन को सम्मिलित कर लिया है, यह प्राधिकरण कार्गो हैंडलिंग प्रभाग के पोत पर श्रमिकों की तैनाती के लिए 31 मार्च 2016 तक अथवा केपीटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर अनुमोदित किए जाने वाले संशोधित दर मानों के प्रवृत्त होने की तारीख तक, जो भी पहले हो, विद्यमान दरों की वैधता की अवधि का विस्तार करता है। यह इस प्राधिकरण द्वारा केपीटी के दरमानों की अवधि का विस्तार 31 मार्च, 2016 तक करने के निर्णय के अनुरुप है।

5.2. महा पत्तन न्यास की नई प्रशुल्क नीति, 2015 के खण्ड 8.4 के अनुसार, महा पत्तन उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए ही प्रभार वूसल करेंगे। श्रमिकों की काल्पनिक बुकिंग और इसी प्रकार के अन्य काल्पनिक प्रभारों की कोई अनुमति नहीं होगी। इसलिए, केपीटी, को बढ़ायी गई अवधि के लिए कार्गो हैंडलिंग प्रभाग के लिए दरों को संप्रयोजित करते समय प्रशुल्क नीति, 2015 का अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।

6. परिणामस्वरुप, और उपर्युक्त दिए गए कारणों से तथा यह प्राधिकरण सामूहिक रुप से विवेकपूर्ण विचार करने के आधार पर छह महीनों की और अवधि के 30 सितम्बर, 2015 के पश्चात अर्थात 31 मार्च, 2016 तक अथवा केपीटी द्वारा प्रस्तुत प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित दरों की अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तारीख तक, जो भी पहले हो, कार्गो हैंडलिंग प्रभाग के पोत पर श्रम प्रभारों के लिए केपीटी के अनुरोध के अनुसार विद्यमान संमिश्र दरों की वैधता की अवधि का विस्तार करता है।

(टी.एस. बालसुब्रमनियन)
सदस्य (वित्त)